न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0 193 / 2024 | तारीख दायरा 12.02.2024 | तारीख फैसला 28/8/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– शिवराज उम्र 55 साल पुत्र श्री जमनालाल जाति धाकड निवासी राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि वाके ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं0 421 में खसरा नं0 833 रकबा 2.46 हे०, ख0नं0 834 रकबा 0.16 हे0 किता 2 रकबा 2.62 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि को इस वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2– यह कि उक्त आराजियात वादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है।

3– यह कि वादी का वास्तविक नाम शिवराज है। जो वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड व परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में शिवराज नाम दर्ज है। जबकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में श्योजी पुत्र जमनालाल नाम दर्ज है

4– यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बचपन का बोलता नाम इन्तकाल खोलते समय दर्ज हो गया। जिससे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में श्योजी दर्ज चला आ रहा है। वादी का नाम श्योजी राजस्व रिकार्ड में व अन्य दस्तावेज में शिवराज होने से वादी को कई प्रकार की परेशानियों हो रही है। इसलिए वादी का नाम शिवराज दर्ज किया जावे।

5– यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे श्योजी व अन्य दस्तावेजों मे शिवराज दर्ज है जो राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक 4(1) राज0–6/2002/19 जयपुर दिनांक 18–6–2007 के अन्तर्गत श्योजी के स्थान पर शिवराज नाम दर्ज किया जावें।

6– यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में श्योजी नाम दर्ज होने से वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व मुआवजा राशि प्राप्त करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने इत्यादि मे परेशानी हो रही है इसलिए वादी का नाम श्योजी के स्थान पर शिवराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए वादी को बतोर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7– यह कि वाद कारण दिनांक 20–09–2023 को वादी ने प्रतिवादी से से अपना नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया कि परन्तु वादी का नाम प्रतिवादी ने दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया जिस कारण वाद बमुकाम ग्राम दीगोद जिला कोटा राज० में उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें कि रू–

(1) कि वाके ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं0 421 में खसरा नं0 833 रकबा 2.46 हे०, ख0नं0 834 रकबा 0.16 हे0 किता 2 रकबा 2.62 हे0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योजी के स्थान पर शिवराज दर्ज करते हुए वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(2) कि अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादी से दिलाई जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम भाण्डाहेडा खाता सं0नया 421
2. शपथ पत्र द्वारा वादी शिवराज स्वयं।
3. नकल बैंक पास बुक
4. नकल सहकारी किसान कार्ड
5. नकल राशन कार्ड
6. नकल मतदाता पहचान पत्र
7. नकल लाइसेंस प्रार्थी
8. नकल जनआधार कार्ड
9. नकल आधार कार्ड
10. सरपंच ग्राम पंचायत गोदल्याहेडी प0स0 लाडपुरा द्वारा देय प्रमाणीकरण
11. नकल पेन कार्ड

... कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे श्योजी व अन्य दस्तावेजो मे शिवराज दर्ज है ... सरकार का परिपत्र कमांक 4(1) राज0 6/2002/19 जयपुर दिनांक ... 200? के अन्तर्गत श्योजी के स्थान पर शिवराज नाम दर्ज किया जावे।

... यह कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे श्योजी नाम दर्ज होने से वादी को सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने व मुआवजा राशि प्राप्त करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने इत्यादि मे परेशानी हो रही है इसलिए वादी का नाम श्योजी के स्थान पर शिवराज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुए वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

... यह कि वाद कारण दिनांक 20 09 2023 को वादी ने प्रतिवादी से से अपना नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया कि परन्तु वादी का नाम प्रतिवादी ने दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया जिस कारण वाद बमुकाम ग्राम दीगोद जिला कोटा रा0 मे उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की सादिर डिक्री एव निर्णय पारित फरमाया जावे कि :-

(1) कि वाके ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा रा0 मे खाता स0 421 मे खसरा न0 833 रकबा 2 46 है0 ख0न0 834 रकबा 0 16 है0 किता 2 रकबा 2 62 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम श्योजी के स्थान पर शिवराज दर्ज करते हुए वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(2) कि अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादी से दिलाई जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ सलग्न किये है :-

1 नकल जमाबन्दी सवत 2075 2078 ग्राम भाण्डाहेडा खाता स0नया 421
2 शपथ पत्र द्वारा वादी शिवराज स्वय।
3 नकल बैंक पास बुक
4 नकल सहकारी किसान कार्ड
5 नकल राशन कार्ड
6 नकल मतदाता पहचान पत्र
7 नकल लाइसेस प्रार्थी
8 नकल जनआधार कार्ड
9 नकल आधार कार्ड
10 सरपच ग्राम पचायत मोदल्याहेडी प0स0 लाडपुरा द्वारा देय प्रमाणीकरण
11 नकल पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में प्रेमचन्द पुत्र रामेश्वर जाति धाकड निवासी राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादी का नाम श्योजी के स्थान पर श्योजी उर्फ शिवराज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं0 421 में खसरा नं0 833 रकबा 2.46 हे०, ख0नं0 834 रकबा 0.16 हे0 किता 2 रकबा 2.62 हे0 भूमि में वादी का नाम श्योजी के स्थान पर श्योजी उर्फ शिवराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– शिवराज उम्र 55 साल पुत्र श्री जमनालाल जाति धाकड निवासी राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल न0 106/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं0 421 में खसरा नं0 833 रकबा 2.46 हे०, ख0नं0 834 रकबा 0.16 हे0 किता 2 रकबा 2.62 हे0 भूमि में वादी का नाम श्योजी के स्थान पर श्योजी उर्फ शिवराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक् निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 28/8/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
मुद्ई			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुत0	0	0
मुत0	0	0	मिलान	0	0
मिलान	0	0			

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद